

सारीख  
हल्म

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

मुख्य या कार्यकारी एवं इतिहासिक भाग

06/02/26

पत्रावली पेश। वकुं उप०। वास्ते  
वास्ते साक्ष्य वादी हेतु अन्तिम अवाप्त  
दिया जाकर पत्रावली 11/2/26 को पेश  
है।

SDO

11/02/26

पत्रावली पेश। वकुं उप०। वास्ते  
साक्ष्य वादी हेतु अन्तिम अवाप्त दिया जाकर  
पत्रावली 18/2/26 को पेश है।

SDO

18/02/26

पत्रावली पेश। वकुं उप०।  
अवाप्त का अवलोकन किया  
गया। पत्रावली लम्बे समय से  
लापसपार है व हेतु विचारधीन  
है अतः प्रकरण पत्रावली ORS  
non-compliance के व हेतु  
स्वार्थिनी की जा की है। पत्रावली  
गम्भीरता का है व हेतु व हेतु  
पूर्ति गम्भीर है।

SDO

रीख  
क्रम

हुसम या कार्तवाही मच इनिशियल जज

क्रम व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुसम की तांगील में  
जाती हुए

सु. सेनानी बनाम सख्तसिंह-सख्त, गझारसी धर्म.  
प्रा. पत्र 212 आर. टी. एक्ट

28.2.19 आज यह प्रा. पत्र प्रार्थी अन्तर्गत द्वारा 212  
आर. टी. एक्ट का वकील प्रार्थी से अप्रार्थीगण के विरुद्ध  
प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा  
से पाबन्द करने का निवेदन किया गया कि आराजी  
विवादित हाल ख. सं. 1620/0.50, 1621/0.15, 1622/0.25,  
1623/0.25, 1628/0.25, 1629/0.25 वाले ग्राम मान्नाद  
की भूमि जो हाल नक्शा से प्रति. सं. 1, 2 की भूमि हाल ख. सं.  
1615, 1617 से अंकित कर दिया है से प्रार्थी को जबरन बेदखल  
नहीं करें। कार्य काश्त प्रार्थी से कितनी प्रकार की रूकावट  
मजाहमत पैदा न करें अप्रार्थी हाल ख. सं. 1615, 1617 वाले मान्नाद  
के मौजूदा इन्ड्राज की आड से प्रार्थीगण को बेदखल न करें।  
आराजी को रहन ब्य आदि के जरिये दोगर जगह मुन्तकिल न  
करें। मौका व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें। साथ  
में शपथ पत्र पेश किया गया।

प्रा. पत्र प्रार्थी शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज पर  
विश्वास करते हुये अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई  
निषेधाज्ञा से दिनांक 9/4/19 तक पाबन्द किया जाता है  
कि वो विवादित आराजी से प्रार्थी को जबरन बेदखल न करें  
कार्य काश्त प्रार्थी से रूकावट मजाहमत पैदा न करें आराजी को  
जरिये रहन ब्य आदि के जरिये दोगर जगह मुन्तकिल न करें।  
मौका व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें। साथ में  
नोटिस भी जारी हो कि इस सम्बन्ध में उन्हें कोई स्तराज हो  
तो दिनांक 9/4/19 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें  
दर्ज हों।

उप खण्ड अधिकारी, राजगढ़

9/4/19  
पीठासीन अधिकारी आज का र्क में  
ब्यस्त है। पत्रावली दिनांक 14/6/19  
को पेश हो।  
रीडर

9/4/19  
आर. टी. एक्ट का वकील प्रार्थी से अप्रार्थीगण के विरुद्ध  
प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा  
से पाबन्द करने का निवेदन किया गया कि आराजी  
विवादित हाल ख. सं. 1620/0.50, 1621/0.15, 1622/0.25,  
1623/0.25, 1628/0.25, 1629/0.25 वाले ग्राम मान्नाद  
की भूमि जो हाल नक्शा से प्रति. सं. 1, 2 की भूमि हाल ख. सं.  
1615, 1617 से अंकित कर दिया है से प्रार्थी को जबरन बेदखल  
नहीं करें। कार्य काश्त प्रार्थी से कितनी प्रकार की रूकावट  
मजाहमत पैदा न करें अप्रार्थी हाल ख. सं. 1615, 1617 वाले मान्नाद  
के मौजूदा इन्ड्राज की आड से प्रार्थीगण को बेदखल न करें।  
आराजी को रहन ब्य आदि के जरिये दोगर जगह मुन्तकिल न  
करें। मौका व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें। साथ  
में शपथ पत्र पेश किया गया।

तारीख  
हुक्म

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

11/02/26  
पनावली पेडा / वकुं उप०। वार्स  
वधस हेतु दिनांक 18/02/26 को पेडा  
हो।



18/02/26

~~पनावली पेडा / वकुं उप०।  
09 RS के त एव वरिष्ठ  
किताब ल - युका हो अतः प्रार्थना  
का 212 RT Act को कार्यवाही  
हो को जाती हो पनावली  
नगल से का हो का वकुं उप०।  
के एव हो का हो~~

